

कार्यालय लोक सूचना अपीलिय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 15/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री श्योकरण जाति भाट निवासी चक हरीपुरा
तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार भादरा

—प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक:—12.04.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार भादरा के विरुद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 9.02.2018 के अनुसार तहसीलदार भादरा से सूचना चाहे जाने पर तहसीलदार भादरा द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान नहीं करने के कारण अपीलार्थी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार भादरा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार भादरा को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 09.02.2018 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसके द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलिय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ